‘अप्प दीपो भव’

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2016
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 29.02.2016
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 19 ● अंक 7 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 16 से 29 फरवरी, 2016

हरियाणा में आरक्षण की लड़ाई किसने लड़ी

अब तक की जो भ्रांतियां और दुविधा रही है, हरियाणा में हुए हाल में जाट आंदोलन से स्पष्ट हो जाना चाहिए। दलित समाज में चर्चा इसी बात की होती है कि सांसद और विधायक चुनकर जाते हैं और उनका मुंह बंद हो जाता है। इस हरियाणा के जाट आंदोलन का क्या सांसदों और विधायकों ने नेतृत्व किया? सांसद, विधायक, मंत्री तो पल्ला झाड़ते हुए नजर आए कि उनका इस आंदोलन से क्या लेना–देना? अब तक जो उल्टा हो रहा था, उसे सीधा करने की जरूरत है। सीधा यह है कि जिस तरह से जाट, गुर्जर, पटेल समाज का एक–एक बच्चा, महिला और पुरुष ने न जेल जाने की परवाह की और न ही जिंदगी की, आरक्षण लेने के लिए जंग में कूद पड़े। हमारे यहां दिनभर आलोचना करते रहते हैं कि डॉ0 उदित राज, श्री राम विलास पासवान, श्री रामदास आठवले आदि क्या कर रहे हैं? ये डरपोक और स्वार्थी लोग अब जाट समाज का अनुसरण करें और उन्हें किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। इकट्ठा होना सीखें और अपने अधिकार को लें।

जो समाज मजबूत होता है, उसी के अनुरूप उसका नेता काम करता है। एक पटेल या जाट नेता की बात इसलिए सुनी जाती है कि वे अगर अपनी जाति का आवाहन कर दें तो सरकार की हालत खराब हो जाएगी। उनका समाज रास्ते पर रुकावट करने से लेकर तमाम सम्पत्तियों को भी जला डालेगा। दूसरी जाति के नेताओं का भी चलना–फिरना बंद कर देगें। करनाल से सांसद – राजकुमार सैनी ने जाटों के आरक्षण का विरोध किया। परिणाम यह हुआ कि इनके संबंधियों के घरों पर तोड़–फोड़ हुई। इनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई। जाटों के दबाव में पार्टी ने तलब किया। इसके विपरीत दलित समाज का नेता यदि आवाज दे तो उसको कोई ताक़त नहीं मिलती है। जनतंत्र की विशेषता है कि जैसी जनता वैसे ही उसका नेता। यह नहीं कहा जा रहा कि दबंग जातियों की तरह अधिकार लेने के लिए दुकान और थाने जला दें, औरतों की इज्जत लूट लें, सड़क और रास्ते जाम करके लोगों के लिए परेशानी पैदा कर दें, लेकिन शांतिपूर्वक तो लाखों की संख्या में इकट्ठा हो ही सकते हैं, लेकिन आज तक ऐसा शायद ही हुआ हो। डॉ0 उदित राज भाजपा में शामिल होकर अगर संसद में गए तो समाज की आवाज उठाने के लिए और वह करके दिखा भी दिया। जितना उन्होंने दलितों की समस्याओं और आरक्षण पर बोला है, क्या किसी और ने किया है। उनके आवाहन पर कितना समर्थन मिलता है? लोग चाहते हैं कि सबकुछ ठीक रहे, लेकिन दान–बलिदान न देना पड़े। एक सोच बन गयी है कि हमारे अकेले से क्या होने वाला है और लोग तो हैं ही। इसी तरह से बहुसंख्यक लोग करने लगते हैं। दुनिया के इतिहास में गरीब और वंचित लड़ा है लेकिन हमारे देश में अमीर संघर्ष कर रहे हैं। जिनके पास धन–सम्पत्ति, शासन–सत्ता है, वे भूख–प्सास बर्दाश्त करके लड़ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, जबकि संघर्ष और त्याग वंचितों को करना चाहिए। पटेलों और जाटों की भागीदारी का आकड़ा छापा जा रहा है, उसे देखकर तो कुछ करो। अमीरों के पास मौज–मस्ती और आराम के इतने साधन भी हैं, फिर भी वे त्याग कर रहे हैं। पिछड़ों और दलितों के पास तो ऐसा कोई साधन भी नहीं है। इनके त्याग और संघर्ष की ताक़त के सामने अमीरों का तो नहीं के बराबर होना चाहिए।

दैनिक जागरण (28 फरवरी 2016) में प्रकाशित खबर के अनुसार पिछले दिनों जाट आरक्षण की मांग की आग में हरियाणा में भड़की हिंसा ने 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, करोड़ों रूपए की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। इससे पहले पिछले साल जुलाई, अगस्त में गुजरात में पटेल रिजर्वेशन की मांग को लेकर हिंसा भड़की थी। क्या है पटेल और जाटों की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन। हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी के बाद अहमदाबाद (गुजरात) में अचानक हिंसा भड़क उठी थी। देखते ही देखते राज्य के अन्य हिस्सों में भी हिंसा फैली। कहीं बसों में आग लगा दी गई तो कहीं पुलिस थानों और चौकियों पर हमला किया गया लेकिन रिजर्वेशन की मांग कर रही इन दोनों जातियों की जमीनी स्थिति क्या है। इकोनाकि, सोशल, पॉलिटिकल रूप से ये कितनी सक्षम है। यह जानने के लिए भास्कर ने इनके बारे में डिटेल जुटाई तो सामने आया कि दोनों ही जातियां मजबूत स्थिति में हैं।

देश में जाटों की आबादी आठ करोड़

- देश में जाटों की संख्या आठ करोड़
- के करीब है। जबकि गुजरात में ही पटेल1.2 करोड़ हैं।
- जाटों की मौजूदगी हरियाणा,
- हिमाचल प्रदेश, उत्तरराखंड,
- राजस्थान, दिल्ली, एमपी, बिहार,
- गुजरात में है।
- हरियाणा में अब तक बने 10
- मुख्यमंत्रियों में से कहने को 5 गैरजाट रहें हैं पर अभी तक केवल भजनलाल ही अपना टर्म पूरा कर पाए हैं।
- भगवत दयाल शर्मा, राव बीरेंद्र सिंह, बनारसी दस गुप्ता बहुत कम
- दिनों के लिए सीएम की कुर्सी पर रहे।

गुजरात में पांच पाटीदार रहे हैं सीएम।

- 1960 में गुजरात के बनने से अब
- तक कुल 15 मुख्यमंत्री हुए। इनमें से पांच पाटीदार रहे हैं।
- मौजूदा सीएम आनंदीबेन पटेल भी पाटीदार समाज से हैं।
- गुजरात में पाटीदारों की सरकार में उपस्थिति तो दमदार है ही उद्योगों
- और व्यापार में भी उनका दबदबा हैं।
- गुजरात में 15 से 20 पर्सेंट अर्थात 24 लाख पाटीदार करोड़पति हैं।
- 10 करोड़ रूपए से अधिक पूंजी इन्वेस्टर वाले कुल 6146 उद्योगों
- में से 1700 से अधिक उद्योग पाटीदारों की मालिकी के हैं।
- वहीं हरियाणा में खेती की कुल जमीन का 55 पर्सेंट हिस्सा जाटों
- को है।

✦✦✦

	गुजरात में पटेल	हरियाणा में जाट
जनसंख्या	**गुजरात की कुल जनसंख्या 6.20 करोड़ है। इसमें पाटीदारों की आबादी 1.20 करोड़।**	**हरियाणा की कुल जनसंख्या 2.53 करोड़ है। इसमें जाटों की संख्या करीब 63 लाख है।**
सांसद विधायक	गुजरात की राजनीति में पटेलों की स्थिति शुरू से ही काफी बेहतर रही है। गुजरात विधानसमा में 182 सदस्य हैं। इनमें 43 पाटीदार हैं इनमे से 35 विधायक भाजपा एवं आठ विधायक कांग्रेस के हैं। आनंदीबेन सरकार के मत्रिमंडल में कुल सात पाटीदार हैं। इनमें दो कैबिनेट तथा पांच राज्य श्रेणी के मंत्री हैं। छह पाटीदार सांसद भी हैं। एक केन्द्रीय मंत्री है।	प्रदेश के 15 सांसदों में 4 जाट सांसद हैं रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, हिसार से दुष्यंत चौटाला, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मबीर सिंह और केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह। 90 सदस्यों वाली विधानसभा में 22 विधायक जाट हैं। राज्य के कृषि मंत्री ओपी धनखड़, वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला भी जाट समुदाय से हैं।
शिक्षा और चिकित्सा	राज्य के कुल डॉक्टरों में आठ प्रतिशत पाटीदार। उच्च शिक्षा में कॉलेजों में कुल 5000 प्राध्यापक पाटीदार हैं। यह कुल का 8.33 फीसदी है। प्राथमिक स्कूलों में 1.25 लाख कुल शिक्षकों में लगभग 15 हजार पाटीदार हैं। यह लगभग 12 फीसदी है।	सीनियर मेडिकल अफसर के तौर पर जाट 7.44 प्रतिशत हैं। जबकि अग्रवालों की संख्या 19.42 प्रतिशत है। अरोड़ा खत्री 14.15 और ब्राह्मण 7.19 प्रतिशत हैं। शैक्षणिक संस्थानों में भी जाटों का प्रतिनिधित्व कम नहीं है। विश्वविद्यालयों व कॉलेज में 28 प्रतिशत पदों पर जाट हैं।
शासन और सरकार	2015 के आईएएस बैच में गुजरात कैडर से नौ नियुक्तियां हुई, इनमें तीन पाटीदार हैं। गुजरात सरकार में 2014 में बतौर आईएएस नियुक्त अधिकारियों में से 17 पाटीदार है। इनके अलावा गुजरात कैडर में आठ फीसदी आईपीएस पाटीदार हैं। वहीं सचिवालय में राज्य कैडर के सचिव एवं संयुक्त सचिव अधिकारी कुल 74 हैं।	हरियाणा में तैनात अखिल भारतीय सेवाओं में भी जाट अफसरों का 18.1 प्रतिशत है। हरियाणा सिविल सर्विस (एक्जीक्यूटिव एंड ज्युडिशियल) में जाटों की संख्या 18.24 प्रतिशत है। हरियाणा पुलिस सर्विस (सीधी भर्ती 35 पद) में सबसे ज्यादा जाट 17.14 प्रतिशत हैं। जिला रेवेन्यू अधिकारी के 35 पदों में जाट 18.14 प्रतिशत जाट है।
कृषि क्षेत्र	डेयरी उद्योग में 80 प्रतिशत पाटीदार हैं। कपास की फसलें 70 प्रतिशत पाटीदार की होती है और मूंगफली की 70 से 35 प्रतिशत फसलें पाटीदारों की हैं।	कृषि में जाटों का दबदबा है। हरियाणा की कुल जमीन का 55.33 प्रतिशत जाटों के पास है। जिसमें प्रमुख रूप से गेहूं और धान की खेती की जाती है।
निजी व्यवसाय नौकरियां	नौकरीपेशा पाटीदारों की संख्या दो से तीन फीसदी है। गुजरात विश्वविद्यालय के सामजिक विभागाध्यक्ष गौरांग जानी के अनुसार कृषि में भूमि के छोटे–छोटे हिस्सों में विभाजित होने, विदेश में बसे पाटीदारों द्वारा प्रेषित फंड से शिक्षा की ओर अग्रसर पाटीदार युवा बीते 10 सालों से स्वतंत्र व्यवसाय में भाग्य आजमाते नजर आ रहे हैं।	आढ़त के काम में 23.33 फीसदी जाट हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी डीलिंग में 68.77 फीसदी, ट्रांसपोर्ट के पेशे में 44 फीसदी, प्राइवेट नौकरियों में 35 फीसदी हैं। अच्छी खासी संख्या ममें डीलरशिप कार–बाइक और एर्जेसियां भी जाटों के पास हैं। इसके साथ ही होटल–रेस्त्रां के व्यवसाय में भी उनका दखल है।
	5 मुख्यमंत्री पटेल रहे हैं अब तक गुजरात में — 1960 में गुजरात के पृथक राज्य बनने से अब तक कुल 15 मुख्यमंत्री हुए। इनमें 5 पाटीदार रहे हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी पाटीदार हैं।	**5 मुख्यमंत्री** जाट रहे हैं हरियाणा में — हरियाणा में अब तक बने 10 मुख्यमंत्रियों मे से 5 जाट रहे हैं। पांच गैर जाट मुख्यमंत्रियो में से केवल भजनलाल ही कार्यकाल पूरा कर पाए हैं।

परिसंघ की सदस्यता का विवरण भेजें

बार–बार आग्रह करने के बाद भी अभी तक अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की जो सदस्यता की रसीदें जारी की गयी थी, वापिस नहीं आ सकी हैं। परिसंघ के प्रदेश, जिला, ब्लाक इकाइयों के पदाधिकारियों व शुभचिंतकों, जिनके पास सदस्यता की रसीदें हैं, वे नाम, मोबाइल नं., जिला एवं प्रदेश लिखकर नीचे लिखे प्रारूप में अतिशीघ्र parisangh1997@gmail.com पर ईमेल करें।

सदस्य का नाम	मोबाइल नं.	जिला	प्रदेश

– डॉ0 उदित राज,
राष्ट्रीय अध्यक्ष

कोढ़ में खाज

किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो दलित आदिवासी अभी भी हासिए पर खड़े हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि मुस्लिम नौकरी एवं शिक्षा में दलित से भी पीछे हैं। स्कूल ड्रापआउट के एक सर्वे के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक अनुसूचित जातियो की संख्या 17.8, अनुसूचित जन जातियों की 14.4 प्रतिशत और मुस्लिम बच्चों की 13.6 प्रतिशत है और कक्षा 6 से 8 तक अनुसूचित जाति के बच्चे 22.2 प्रतिशत, जन जाति के 20.8 प्रतिशत एवं मुस्लिमों के 17.9 प्रतिशत है। इसके अनुसार भी दलित-आदिवासी सबसे पीछे पाए गए। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज की भागीदारी उद्योग, शिक्षा, फिल्म, पत्रकारिता में ठीक-ठाक है, जबकि दलित अभी भी शून्य की स्थिति में हैं। केरल में कभी ईसाई शिक्षा और व्यापार में आगे थे लेकिन अब मुस्लिम उन्हें पीछे छोड़ चुके हैं। यह सबकुछ कहने का आशय यह है कि बिना आरक्षण तमाम जातियों एवं धर्मों के लोग कहीं न कहीं भागीदारी रखते हैं, लेकिन दलित-आदिवासी अभी भी जो कुछ कर पाएं हैं मात्र आरक्षण के ही सहारे।

आरक्षण इनकी जीवन रेखा है। अब तक फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों के आधार पर सामान्य वर्ग के लोग नौकरियां हड़पते थे। कोई सर्वे नहीं हुआ है, इसलिए पुख्ता तौर से यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों की गिनती कितनी है? सी.बी.आई. ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जांच करते वक्त पाया कि फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों पर सरकारी नौकरी करने वालों की संख्या लगभग 30 प्रतिशत है। हाल में जनप्रतिनिधियों के भी पदों पर डाकेमारी शुरू हो गयी है। हो यह रहा है कि दूसरी जाति के लोग दलित-आदिवासी महिलाओं से शादी करके जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, बी.डी.सी. सदस्य, ब्लाक प्रमुख और विधायक तक बन रहे हैं। नाम के लिए सुरक्षित सीट होती है लेकिन हुकूमत सामान्य वर्ग के हाथ में होती है। पश्चिमी उ0प्र0 में बड़े पैमाने पर यह धांधली हो रही है।

हाल में जिला पंचायत का चुनाव उ0प्र0 में हुआ। राजनीतिक दलों ने अपने वोट के लालच में ऐसी जातियों को आरक्षित श्रेणी में शामिल करना शुरू कर दिया जो इसकी हकदार नहीं थी। जब यह मार पर्याप्त नहीं पड़ी तो दूसरा हथकंडा अपनाया जाने लगा। बड़े पैमाने पर दलित-पिछ्ड़ी महिलाओं से शादी करके सुरक्षित सीटें हथियाने लगे। पहले सामान्य जाति और मुस्लिम धर्म के लोगों को खतरा लगा कि कहीं ऐसा न हो कि पैसा खर्च करके दलित महिलाओं को जिला पंचायत सदस्य आदि बनाएं और बाद में सदस्यता रद्द हो जाए। अब ये दलित-पिछ्ड़ी महिलाओं को प्रेमजाल में फंसाकर शादी करके सुरक्षित सीटें हड़पने लगे। उत्तर प्रदेश में हाल में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हुए, जिसमें बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, संभल, हापुड़, ग़ाजियाबाद में आधे से ज्यादा सुरक्षित सीटों पर उन महिलाओं ने कब्जा कर लिया, जिन्होंने अन्य जाति-धर्म में शादी कर ली है। इस बार के जिला पंचायत चुनाव में अधिकतर संख्या दलित से मुसलमान बनी महिलाओं की रही है, बिजनौर में 6, सहारनपुर में 7, मुजफ्फर नगर में 5, मुरादाबाद में 4, अमरोहा में 3 । यदि यही रफ्तार रही तो तेजी से विधान सभा और लोक सभा की भी सीटों की लूट शुरू हो जाएगी। जनसंख्या के अनुपात में मुसलमान ज्यादा हैं, जिन्होंने दलित पत्नियां बनाकर आरक्षित सीटों पर कब्जा किया है। इसका मुख्य कारण है कि उनके समाज में असानी से दूसरे धर्म से शादी करने की स्वीकृति मिल जाती है, जबकि हिन्दू समाज में मुश्किल होता है। मुस्लिम समाज में एक को तलाक करके दूसरे से शादी करना आसान है। हिन्दू समाज में जाति बहुत महत्त्व रखती है और एक जाति से दूसरी जाति में शादी करना आसान नहीं है। इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए अब कानून लाना जरूरी है।

सामान्य वर्ग के लोग फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर हजारों और लाखों की संख्या में नौकरी लिए हैं। पकड़े जाने पर विभागीय कार्यवाही इतनी शिथिल होती है कि ज्यादातर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सालोंसाल जवाब-सवाल होता रहता है, लेकिन शायद ही कोई कार्यवाही होती हो। अदालतों ने तो सारी सीमाएं पार कर दी हैं। अदालत में ऐसा मुकदमा गया कि नहीं दोषी लगभग बच जाता है। हरियाणा में एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति ने फर्जी जाति प्रमाण-पत्र बनाकर आई.पी.एस. की नौकरी पा ली और जब पता लगा तो मामला अदालत में गया। अदालत की कार्यवाही इतनी लंबी चली कि वे महाशय सेवानिवृत्त भी हो गए। कुछ मामलों में तो अदालतों ने ऐसे फैसले सुनाएं हैं कि जब इतने दिन नौकरी कर लिया है तो कोई ठोस कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है। न विभागीय कार्यवाही और न ही अदालत से कोई ठोस दंड मिल रहा है, इसलिए फर्जी जाति प्रमाण-पत्र लगाकर नौकरी लेने का डर भी नहीं है।

सरकार ने दलितों-आदिवासियों के उत्थान के लिए तमाम और कदम उठाए हैं, वहां भी वैसी धांधलियां हो रही हैं। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के आबंटन में कोटा है, लेकिन ज्यादातर सवर्णो का परोक्ष रूप से कब्जा है। व्यापार करना आसान नहीं है और अनुसूचित जाति/जन जाति के लोग तमाम परेशानियों में घिर जाते हैं तो लिखित या अलिखित व्यापारिक समझौता सामान्य वर्ग से कर लेते हैं। यह भी सच्चाई है कि दलितों और आदिवासियों को व्यापार करने का अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए उनके लिए कठिन तो है।

आरक्षण भागीदारी का अगर माध्यम है तो शिड्यूल्ट कास्ट सब प्लान एवं ट्राइबल सब प्लान आर्थिक उत्थान का। लगातार देखा यह जा रहा है कि योजनागत् बजट का जितना पैसा इनको आबंटित किया जाना है, उसका आधा ही होता है। यह आधा भी इन पर खर्च नहीं हो पाता। कॉमन वेल्थ गेम्स में दिल्ली सरकार ने 744 करोड़ शिड्यूल्ड कास्ट स्पेशसल कांपोनेंट प्लान से खर्च कर दिया था। इनके पैसे से कहीं जेल, कहीं सड़क या और निर्माण किया जा रहा है। पैसे का उपयोग नहीं हो पाता तो वापिस भी कर दिया जाता है या दूसरे विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाता है। उद्देश्य यह है कि इस पैसे को इसी समाज के व्यक्ति, परिवार या बस्ती के विकास पर लगाया जाए और वही सही उपयोग है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कानून बनाया कि इस पैसे को कहीं अन्यत्र खर्च नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो वह दंडनीय होगा। इसी तर्ज पर भारत सरकार के वित्तमंत्री से अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की ओर से ज्ञापन देकर बिल पेश करने का अनुरोध किया गया है। यह भी देखा गया है कि इस पैसे का उपयोग अगर किसी क्षेत्र में कर दिया गया है तो यह दिखा दिया जाता है कि वहां दलित एवं आदिवासी भी रहते हैं, इसलिए प्रतिशत के हिसाब से खर्च उन पर डाल दिया जाता है, जबकि यह गलत है। नीति आयोग, मंत्रालय, प्रदेश सरकार एवं जिला स्तर पर ऐसे समर्पित लोगों की टीम हो या प्रकोष्ठ जो इस पर निगरानी रखे। यह भी देखे कि जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, क्या लाभदायी हैं?

जो हजारों वर्षों से शोषित हैं, उनको जो थोड़ा-बहुत मिला है, उस पर भी जब लूट हो तो क्या कहा जा सकता है? स्थिति वैसी ही है कि कोई व्यक्ति कोढ़ जैसी भयंकर बीमारी से परेशान हो और ऊपर से उस पर खुजली हो जाए तो उसकी क्या दशा होगी, यह जानना मुश्किल नहीं है।

– डॉ0 उदित राज

✦✦✦

मेडिकल की सीटों में 12,000 करोड़ रुपये की ब्लैक मनी का कारोबार

आपने किसी आईआईटी और एम्स में कंफर्म ऐडमिशन या सीट बुक करने वाला विज्ञापन नहीं देखा होगा, न ही आल इंडिया सिविल सर्विसेज में आपकी पसंदीदा सर्विस में चुने जाने का कोई विज्ञापन देखने को मिलता है। बावजूद इसके देश भर के मीडिया में एमबीबीएस सीट के विज्ञापनों की भरमार रहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ऐडमिशन मेरिट के आधार पर होता है तो कोई डायरेक्ट ऐडमिशन का वादा कैसे कर सकता है।

हम आपको बताते हैं कि इस वादे के पीछे प्राइवेट कालेजों की मेडिकल सीटों का ब्लैक मार्केट है। कालेज मैनेजमेंट और एजेंट मिलकर प्राइवेट कालेजों में 30 हजार से ज्यादा एमबीबीएस और करीब 9600 पीजी की सीटें बेचने का काम करते हैं। हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इन सीटों में हर साल करीब 12 हजार करोड़ रुपये की ब्लैक मनी इधर से उधर होती है।

भारत में 422 मेडिकल कालेज में से 224 प्राइवेट हैं। इनमें एमबीबीएस की 53 फीसदी सीटें रहती हैं। इसमें से कई कालेजों में काफी कम सुविधाएं हैं। इनमें से कई का हाल तो ऐसा है कि यहां न तो मरीज हैं और न ही फैकल्टी। इसी एमबीबीएस की एक सीट की कीमत बेंगलुरु में 1 करोड़ रुपये और यूपी में 25 से 35 लाख रुपये होती है। रेडियोलॉजी और डर्मटोलॉजी की एक सीट की कीमत 3 करोड़ रुपये तक है।

इन सीटों के लिए पहले आओ. पहले पाओ का प्रावधान होता है। पहले से बुक करने पर आपको कुछ छूट भी दी जाती है। हालांकि एक बार मेडिकल प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित होने पर प्राइवेट कालेजों में सीटों की कीमत दोगुनी हो जाती है। केवल एमबीबीएस की सीटें हर साल 9 हजार करोड़ रुपये में बिकती हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कालेज अपने एंट्रेंस एग्जाम खुद कराने का दावा करते हैं ताकि मेरिट के आधार पर छात्रों का चयन हो। हालांकि कई राज्यों में इसका खुलासा हो चुका है कि पैसे वाले उम्मीदवारों को कम नंबर आने या एग्जाम में नहीं बैठने पर भी सीटें मिल जाती हैं। मेरिट वाले कई छात्रों को जबरन बाहर निकाला जाता है या किसी बहाने से बाहर कर दिया जाता है।

आपको बता दें कि ज्यादातर राज्यों में कालेज15 फीसदी सीटें एनआरआई कोटे के लिए रखते हैं। असल में ये सीटें भी बेची जाती हैं। इससे कहीं 50 तो कहीं 80 और कहीं. कहीं तो 100 फीसदी सीटें बेच दी जाती हैं। यह आंकड़ा हर राज्य में अलग.अलग होता है। एमपी और महाराष्ट्र में मैनेजमेंट कोटा 43 फीसदी है, इसमें एनआरआई कोटा मिला देने पर कुल 60 फीसदी तक हो जाता है। मेडिकल की पोस्ट ग्रैजुएशन सीटें करीब 23,600 हैं, इसलिए इनकी मांग और भी ज्यादा है। प्राइवेट सेक्टर में 9,400 सीटें हैं, जिसमें 1,300 डिप्लोमा सीट हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार इसमें से 40 फीसदी सीटें बेची जाती हैं। पीजी की सीटों की कीमत ही करीब 2,900 करोड़ रुपये है। प्राइवेट सेक्टर में 370 सुपर. स्पेशलाइजेशन सीटें हैं, जिसमें से भी 40 फीसदी बेची जाती हैं। इस तरह एमबीबीस के बाद की पढ़ाई का ब्लैक मार्केट करीब 3,000 करोड़ रुपये का है, जो कुल मिलाकर 12 हजार करोड़ रुपये का बैठता है। यह सारी रकम कैश में दी जाती है। खुलेआम यह सब होने के बावजूद सरकार ने अभी तक इस मामले में न तो कोई कार्रवाई की है और न ही इसे रोकने को कोई कदम उठया है।

रेमा नागराजन, नई दिल्ली

http://navbharattimes.indiatimes.com/india/Black-money-quota-25000-MBBS-PG-seats-at-Rs-12000-crore/articleshow/50780717.cms?prtpage=1

✦✦✦

मद्रास HC के जज करनन बोले, भारत में पैदा होने पर शर्मिंदा हूं

नई दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने से नाखुश मद्रास हाईकोर्ट के जज करनन ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मुझे भारत में पैदा होने पर शर्म आती है। करनन ने आरोप लगाया कि वे पिछ्ड़ी जाति से हैं इसलिए उनके साथ भेदभाव किया गया है।

SC की मद्रास हाईकोर्ट के जज को फटकार, केस देने से इनकार

बता दें कि जस्टिस जगदीश सिंह केहर और आर भानुमति की डिविजन बेंच ने सोमवार को यह आदेश दिया कि जस्टिस करनन को कोई भी केस न दिया जाए। इस पर विवादित जज ने सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों के खिलाफ एससी/एसटी (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी) एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराएंगे।

कोर्ट के निर्देश से पहले जस्टिस करनन ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए उनके ट्रांसफर के आदेश पर खुद ही स्टे लगा दिया था। करनन ने ट्रांसफर करने के लिए सीजीआई टीएस ठाकुर से लिखित सफाई भी मांगी।

सुप्रीम कोर्ट के उन्हें केस दिए जाने पर रोक लगाए जाने पर करनन का कहना है कि मेरा ज्यूडिशियल पावर अब भी मेरे पास है। जज ने कहा कि मैं इस मामले में खुद संज्ञान लेते (सुओ-मोटो) चेन्नई पुलिस कमिश्नर को निर्देश दूंगा कि वे एफआईआर दर्ज कराएं।

करनन ने मद्रास हाईकोर्ट के सीनियर जज, चीफ जस्टिस संजय कौल पर प्रताड़ना और अपमान करने के मामले में केस दर्ज करने की धमकी देने का आरोप लगाया था। बता दें कि पिछले हफ्ते सीजीआई की अध्यक्षता वाले एक पैनल ने जस्टिस करनन का मद्रास हाई कोर्ट से कोलकाता हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था।

http://www.inkhabar.com/national/13856-justice-karnan-stays-cji-order-of-his-transfer-to-calcutta-hc

कुछ विश्वप्रसिद्ध लोगो के धर्म के बारे में विचार

1. आचार्य चार्वाक –

आचार्य चार्वाक का कहना था, ''ईश्वर एक रुग्ण विचार प्रणाली है, इससे मानवता का कोई कल्याण होने वाला नहीं है।''

2. अजित केशकम्बल (523 ई. पू.)–

अजित केश्कंबल बुद्ध के सम-कालीन विख्यात तीर्थकार थे, त्रिपिटिका में अजित के विचार कई जगह आये हैं, उनका कहना था, ''दान, यज्ञ, हवन नहीं ....लोक परलोक नहीं।''

3. सुकरात (466-366 ई पू)– ''इश्वर केवल शोषण का नाम है।''

4. इब्न रोश्द (1126-1198) –

इनका जन्म स्पेन के मुस्लिम परिवार में हुआ था, रोश्द के दादा जामा मस्जिद के इमाम थे, इन्हें कुरान कंठस्थ थी। इन्होंने अल्लाह के अस्तित्व को नकार दिया था और इस्लाम को राजनैतिक गिरोह कहा था। जिस कारण मुस्लिम धर्मगुरु इनकी जान के पीछे पड़ गए थे। रोश्द ने दर्शन के बुद्धि प्रधान हथियार से इस्लाम के मजहबी वादशास्त्रियों की खूब खबर ली।

5. कॉपरनिकस (1473-1543) –

इन्होंने धर्म गुरुओं की पोल खोली थी, इसमें धर्मगुरु ये कह कर लोगों को मुर्ख बना रहे थे की सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। कॉपरनिकस ने अपने प्रयोग से यह सिद्ध कर दिया की पृथ्वी सहित सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जिस कारण धर्म गुरु इतने नाराज हुए की कॉपरनिकस के सभी सार्थक वैज्ञानिकों को कठोर दंड देना प्रारंभ कर दिया।

6. मार्टिन लूथर (1483-1546) –

इन्होंने जर्मनी में अन्धविश्वास, पाखंड और धर्गुरुओं के अत्याचारों के खिलाफ आन्दोलन किया इन्होने कहा था 'व्रत , तीर्थयात्रा , जप, दान आदि सब निरर्थक है।'

7. सर फ्रेंसिस बेकन (1561-1626)–

अंग्रेजी के सारगर्भित निबंधो के लिए प्रसिद्ध हुए, तेइस साल की उम्र में ही पार्लियामेंट के सदस्य बने , बाद में लार्ड चांसलर भी बने । उनका कहना था, ''नास्तिकता व्यक्ति को विचार, दर्शन, स्वभाविक निष्ठा, नियम पालन की ओर ले जाती है, ये सभी चीजें सतही नैतिक गुणों की पथ दर्शिका हो सकती हैं ।

8. बेंजामिन फ्रेंकलिन (1706-1790) –

इनका कहना था, ''सांसारिक प्रपंचो में मनुष्य धर्म से नहीं बल्कि इनके न होने से सुरक्षित है।''

9. चार्ल्स डार्विन (1809-1882) –

इन्होंने ईश्वरवाद और धार्मिक गुटों पर सर्वाधिक चोट पहुंचाई, इनका कहना था, ''मैं किसी ईश्वरवाद में विश्वास नहीं रखता और न ही आगामी जीवन के बारे में।''

10. कार्ल मार्क्स (1818-1883) –

कार्ल मार्क्स का कहना था, ''इश्वर का जन्म एक गहरी साजिश से हुआ है और धर्म एक अफीम है। उनकी नजर में धर्म विज्ञान विरोधी, प्रगति विरोधी, प्रतिगामी, अनुपयोगी और अनर्थकारी है, इसका त्याग ही जनहित में है।

11. पेरियार (1879-1973) –

इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ और इन्होंने जातिवाद, ईश्वरवाद, पाखंड, अन्धविश्वास पर जम कर प्रहार किया।

12. अल्बर्ट आइन्स्टीन (1879-1955)–

विश्वविख्यात वैज्ञानिक का कहना था, ''व्यक्ति का नैतिक आचरण मुख्य रुप से सहानभूति, शिक्षा और सामाजिक बंधन पर निर्भर होना चाहिए, इसके लिए धार्मिक आधार की कोई आवश्यकता नहीं है। मृत्यु के बाद दंड का भय और पुरस्कार की आशा से नियंत्रित करने पर मनुष्य की हालत दयनीय हो जाती है।''

13. भगत सिंह (1907-1931) –

प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी भगत सिंह ने अपनी पुस्तक, 'मैं नास्तिक क्यों हूं?' में कहा है कि मनुष्य ने जब अपनी कमियों और कमजोरियों पर विचार करते हुए अपनी सीमाओं का अहसास किया तो मनुष्य को तमाम कठिनाईयों का साहस पूर्ण सामना करने और तमाम खतरों के साथ वीरतापूर्ण जूझने की प्रेरणा देने वाली तथा सुख दिनों में अतिउत्साहित न हो जाये इसे रोकने के लिए इश्वर की कल्पना की गयी है।

14. लेनिन –

लेनिन के अनुसार जो लोग जीवन भर मेहनत मशक्कत करते हैं और आभाव में जीते हैं, उन्हें धर्म इहलौकिक जीवन में विनम्रता और धैर्य रखने की तथा परलोक में सुख की आशा से सांत्वना प्राप्त करने की शिक्षा देता है, परन्तु जो लोग दूसरों के श्रम पर जीवित रहते हैं उन्हें इहजीवन में दयालुता की शिक्षा देता है, इस प्रकार उन्हें शोषक के रुप में अपने सम्पूर्ण अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने का एक सस्ता नुस्खा बता देता है।

15. गौतम बुद्ध –

बुद्ध कहते है की भगवान नाम की कोई चीज नही है! भगवान के लिये अपना समय नष्ट मत करो, केवल सत्य ही सबकुछ है। अतः भले ही धर्म प्राचीन समय के समाज की आवश्यकता रहा हो परन्तु वह एक अन्धविश्वास ही था जो अपने साथ कई अन्धविश्वासों को जोड़ता चला गया। धर्म और अन्धविश्वास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अंधविश्वासों का जन्म भी उसी तरह हुआ जिस तरह भांति-भांति के धर्मो का।

इन धर्म के नाना प्रकार के अन्धविश्वासों के शिकार भी प्रायः गरीब लोग ही होते थे, सुविधाओं के आभाव उन्हें विज्ञान और सच से काट देता था और वो गृहकलेश, बीमारी , प्राकृतिक आपदाओं, निर्धनता आदि समस्याओं के समाधान के लिए टोना टोटके, तांत्रिकों, बाबाओं, मौलवियों, ज्योतिषियों, ओझाओं आदि के चक्कर में फंस जाते हैं।

✦✦✦

इतिहासकारों का दावा महिषासुर के नाम पर है मैसूर, वह राक्षस था पर उसमें भी थे अच्छे गुण

मैसूर यूनिवर्सिटी के एनशियंट हिस्टी और आर्कियोलॉजी विभाग के पूर्व प्रमुख्र प्रोफेसर एवी नरसिम्हा मर्ति बताते है, मैसूर का नाम महिषासुर की कथा से आया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महिषासुर को अच्छे राक्षस के रूप में देखा गया। कई इतिहासकारों और किवदंतियों के मुताबित कर्नाटक का मैसूर शहर का नाम महिषासुर के नाम पर पड़ा। स्थानीय कथाओं के अनुसार राक्षस महिषासुर के नाम पर इस जगह का नाम मैसूर हुआ। महिषासुर को चामुंडेश्वरी देवी ने मारा था। मैसूर नाम का मतलब महिषासुर की धरती भी होता है। यहां पर केवल एक पहाड़ी का नाम ही चामुंडेश्वरी देवी के नाम पर है। यहां के लोगों को भी महिषासुर के नाम पर शहर का नाम होने से कोई परेशानी नही है। मैसूर और चामुंडेश्वरी पहाड़ी पर महिषासुर की मूर्ति भी लगी हुई है। मैसूर यूनिवर्सिटी के एनशियंट हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी विभाग के पूर्व प्रमुख प्रोफेसर एवी नरसिम्हा मूर्ति बताते है मैसूर का नाम महिषासुर की कथा से आया है। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि महिषासुर को अच्छे राक्षस के रूप में देखा गया। पुराणों में अच्छे और बुरे राक्षस हुए है और महिषासुर को अच्छा राक्षस माना गया। अशोक के समय मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि उस समय बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महिषा मंडल था। महिषासुर की कहानी उसके बाद आती है लेकिन मैसूर का नाम वहीं से लिया गया। अन्य इतिहासकार बी शेख अली भी ऐसा ही मानते हैं। उनका कहना है कि मैसूर का नाम चामुंडेश्वरी और महिषासुर की कहानी पर ही रखा गया है। वह कहते कि पौराणिक कथाओं के अनुसार चामुंडेश्वरी ने महिषासुर का संहार किया। मैसूर का नाम महिषासुर से ही आया है। यह पौराणिक कथा पर अधारित है न कि ऐतिहासिक चरित्र पर। शेख के अनुसार टीपू सुलतान मैसूर का नाम मंजराबाद रखना चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों से हार के चलते ऐसा नही हो पाया। बाद के राजाओं ने मैसूर नाम को ही अपनाया। मैसूर युनिवर्सिटी के पूर्व इतिहासकार पीवी नंजराज उर्स बताते है कि यह जगह पहले येम्मे नाडु या भेसों की धरती के नाम से जानी जाती थी। बाद में यह महिषा नाडु हो गई। मेरा मानना है कि इसके चलते ही यहां का नाम मैसूर हो गया। वहीं देवी पुराण की कथा के अनुसार इस जगह पर महिषासुर के नाम के राक्षस का शासन था। देवी देवताओं की प्रार्थना के बाद पार्वती ने चामुंडेश्वरी के रूप में जन्म लिया और महिषासुर का वध किया। यह भी एक तथ्य ही है कि देश भर की आदिवासी प्रजातियां महिषासुर को मानती है। लातेहार नेतारहाट के सखुयापानी गांव की रहने वाली सुषमा असुर ने कहा कि हम सभी एक ही धरती मां के गर्भ से पैदा हुए हैं। लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है लेकिन हम मानते है कि महिषासुर हमारे राजा थे और दुर्गा ने गलत ने गलत तरीके से उनकी हत्या कर दी। पक्षपातपूर्ण तस्वीर क्यों पेश की जानी चाहिए। हमारे यहां महिषासुर की मूर्ति नहीं है। हम उन्हें दिल मे रखते हैं। कई पीढ़ियों से होकर हम तक पहुंचे रीती रिवाजों में हमें सही सिखाया गया है कि हम उस रात एहतियात बरतें जब महिषासुर का वध हुआ था। हमारे समुदाय के लोग अपनी नाभि, कान, नाक और उन जगहों पर तेल लगाते है, जहां दुर्गा के त्रिशूल के वार से महिषासुर के शरीर से खून निकलते दिखाया गया है। सुषमा असुर समुदाय से है, जिसे अधिकारिक तौर पर प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। इसकी झारखंड में तादाद 10 हजार से भी कम है। एक्सपर्टस का कहना है कि राक्षसों के इस राजा की पूजा और उसी मौत का शोक झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश के आदिवासी समूहों में मनाया जाता है।

http://www.jansatta.com/national/mysore-name-comes-from-mahishasura-say-historians/72452/?utm_source=JansattaHP&utm_medium=referral&utm_campaign=jaroorpadhe_story

✦✦✦

पदाधिकारियों, सुभचिंतकों व समर्थकों के मो. नं भेजें

अनुसुचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के पदाधिकारियों से आग्रह है कि वे अधिक से अधिक संख्या में साथियों के मोबाइल नं. भेजें। ये मोबाइल नं. दो श्रेणियों में विभाजित करके भेजें। श्रेणी-A में परिसंघ के नेताओं और महत्त्वपूर्ण लोगों के नंबर होने चाहिए और श्रेणी–B में अन्य सामाजिक लोगों और सहयोगियों के नंबर होने चाहिए। इन्हें नीचे लिखे प्रारुप में parisangh1997@gmail.com पर ईमेल करें। किसी भी स्थिति में नम्बर ऐसे हों जो एस.एम.एस. प्राप्त करने पर कद्र करें।

नाम	मोबाइल नं.	जिला	प्रदेश

– डॉ0 उदित राज,
राष्ट्रीय अध्यक्ष

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशिः

पांच वर्ष : 600 रुपए
एक वर्ष : 150 रुपए

जाति अभी गयी नहीं

शिक्षित लोगों में जब चर्चा होती है तो ज्यादातर लोग यह कहते हैं कि जाति तो बीते दिनों की बात हो गयी है। हाल में हरियाणा में आरक्षण के आंदोलन ने इसका जवाब दे दिया कि जाति सबसे बड़ी सच्चाई है। लोग सब कुछ खो सकते हैं, लेकिन जाति नहीं। आंदोलनकारी घर-घर, दुकान-दुकान, रास्ते, सड़क, बस, ट्रेन में जाति पूछकर निशाना बना रहे थे। यदि उनकी जाति के थे तो छोड़ दिया और गैर जाति के थे तो करोड़ों का माल जला दिया और जान भी ले ली। अब सवाल यह उठता है कि यह आंदोलन आरक्षण के लिए था कि जातीय पहचान के लिए। जातीय पहचान का आशय यह है कि जिनका दबदबा पहले से चला आ रहा था उनका इस कृत्य के द्वारा भड़ास निकालना और अपने को पुनर्स्थापित करना। जाति के दबादबे को बरकरार रखने के लिए यह भी न सोचा कि सदियों से रह रहे पड़ोसी से कुछ तो भाईचारा था। सरकारी सम्पत्तियों को नष्ट करने से इनको क्या मिला?

हरियाणा और पंजाब में जाट जाति के ही ज्यादातर लोग मुख्यमंत्री रहे हैं। जनतंत्र में अदल-बदल कर सबको शासन-प्रशासन में आने का मौका मिलना चाहिए। कुछ तो गलती हमारी शिक्षा व्यवस्था में है कि यह पढ़ाया नहीं जाता कि जातीय व्यवस्था में अछूतों एवं पिछड़ों को जानवर से भी बदतर स्थिति में हजारों साल रखा गया था। आरक्षण उस अन्याय और वंचित होने के एवज में दिया गया है। ऐसा नहीं है कि दूसरे समाज में भेदभाव न हुआ हो लेकिन वहां की शिक्षा व्यवस्था ने पूर्ति जल्दी की, सच को छुपाकर नहीं बल्कि बार-बार उजागर करके। अमेरिका में अश्वेत कहते नहीं थकते कि वे अश्वेत हैं। उन्होंने अपने सम्मान में तमाम नारे गढ़े हैं, जैसे - 'ब्लैक इज ब्यूटीफुल' आदि। शिक्षण संस्थाओं में रंगभेद को विधिवत पढ़ाया जाता है। हमारे यहां अछूत भी अपनी जाति को छुपाते हैं और जाति का उपनाम बदलकर सवर्ण बनने का प्रयास करते हैं। खटीक को खटीक कहा जाए, चमार को चमार, मेहतर को मेहतर, यह स्वीकार्य नहीं है। जो जातियां भेदभाव की शिकार हैं और नीच श्रेणी की मानी जाती हैं, उनमें यह प्रवृत्ति अक्सर पायी जाती है। शिक्षण संस्थाओं में जाति-व्यवस्था की कुरीतियों का जिक्र नहीं होता। अतः सरकार और समाज दोनो की ओर से इस सच्चाई को उजागर नहीं किया जाता और यही मूल कारण है कि जाति खत्म नहीं हो रही है। यदि यह समझ में आ गया होता तो दबंग जातियां जो आरक्षण मांग रही हैं, वे स्वयं वंचितों के आरक्षण के लिए खड़ी हो जातीं।

पिछले वर्ष अमेरिका के राज्य नॉर्थ कैरेलेना में भारतीयों से मुलाकात करने का मौका मिला। एक बड़े सफल भारतीय डॉक्टर की पत्नी बातों-बातों में कह बैठी कि हमारे बच्चे तो हरफन मौला बन गए हैं। वे यह मानते नहीं कि उनके दोस्त श्वेत हैं या अश्वेत या ट्रांस्जेंडर। बच्चे महसूस ही नहीं करते कि वे अपने स्तर के लोगों से संबंध बना रहे हैं कि नहीं। मैंने महसूस किया कि यदि स्कूल की शिक्षा ने बच्चों की मानसिकता में बदलाव न किया होता तो वे भी अपनी मां-बाप की सोच के होते और अपनी जाति-बिरादरी खोजते या श्वेतों को। लंदन में जहां भारतीयों की बसावट एक साथ है, वहां भारतीय समाज का वही जातीय स्वरुप देखने को मिलता है, जो यहां है। विकसित देशों में भेदभाव और कुरीतियों पर सरकारी एवं सामाजिक स्तर पर बराबर हमला हुआ है और हमारे यहां दोनों स्तर पर ऐसा नहीं के बराबर हुआ है।

कुछ आंकड़े सोशल मीडिया पर बार-बार देखने को मिल रहे हैं। अगर पूरी सच्चाई नहीं है तो भी उसके करीब जरूर होगा। हरियाणा में जाट 63 प्रतिशत मंत्री, 71 प्रतिशत एच.सी.एस., 60 प्रतिशत आई.ए.एस., 69 प्रतिशत आई.पी.एस., 58 प्रतिशत अलाइड ऑफीसर, 71 प्रतिशत अन्य सरकारी विभागों में हैं। इस तरह से हरियाणा में जाट समाज 43 प्रतिशत पेट्रोल पंप के मालिक, 41 प्रतिशत गैस एजेंसी, 39 प्रतिशत सम्पत्ति और 69 प्रतिशत हथियारों के लाइसेंस के मालिक हैं। हमारी समाजिक एवं सरकारी शिक्षा अगर सही तरीके की दी गयी होती तो जाट समाज के लोग आरक्षण लेने के बजाय दबे-कुचलों की वकालत करते जैसा कि तमाम विकसित देशों में हुआ है। अमेरिका और इंग्लैंड में अश्वेतों की आजादी की लड़ाई श्वेतों ने कहीं ज्यादा लड़ी। महान अमरीकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को अपनी जान देनी पड़ी क्योंकि उन्होंने अश्वेतों को आजाद किया था और उसकी वजह से कुछ उन्हीं की बिरादरी के लोग रूष्ट हो गए थे।

डॉ0 उदित राज

गुजरात में भी पटेलों ने आरक्षण के लिए आंदोलन किया जबकि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अमीर जाति-बिरादरी में उनकी गिनती होती है। मान लिया जाए कि आरक्षण खत्म कर दिया जाता है तो क्या सभी सवर्णों की समस्या का समाधान निकल जाएगा। यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन वर्ष में लगभग 1000 अधिकारियों का चयन करती है। परीक्षार्थी 7 से 10 लाख के बीच में होते हैं और उसमें से लगभग 50 प्रतिशत सवर्ण हैं। सवर्णों में शिक्षा ज्यादा है और वे दलित-पिछड़ों के पेशे को आसानी से अपना नहीं सकते, इसलिए जनसंख्या के अनुपात में इस समाज से अभ्यर्थी ज्यादा होते हैं। 50 प्रतिशत आरक्षित वर्ग के लिए निकाल दिया जाए तो शेष बचता है 500 पद तो क्या सभी 3-4 लाख सवर्ण अभ्यर्थियों को नौकरियां मिल जाएंगीं। हमारे यहां सामाजिक आंदोलन का अभाव और शिक्षा व्यवस्था द्वारा सत्य को पठन-पाठन करने की वजह से झूठी मानसिकता बन गयी है कि सवर्ण आरक्षण की वजह से बेरोजगार हैं। दक्षिण भारत में सामाजिक आंदोलन चले और वहां आरक्षण पहले आया और इसी कारण हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि प्रदेशों से वे कहीं आगे निकल गए। 1902 में कोलापुर, महाराष्ट्र में आरक्षण, 1921 में मद्रास, 1935 में मैसूर और इसी वर्ष केरल के त्रावणकोर रियासत में आरक्षण लागू हुआ। उत्तर भारत में दलितों को राजनैतिक आरक्षण 1936 में और सरकारी नौकरियों में 1943 में मिला और पिछड़ों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1992 में।

आरक्षण भागीदारी का हथियार है न कि सम्पन्नता और आर्थिक विकास का। जिन जातियों के पास कुछ नहीं है, उनको आरक्षण के माध्यम से मुख्यधारा में लाया गया है। पूरे देश में एक भी दलित वरिष्ठ पत्रकार नहीं मिलता, न ही किसी राष्ट्रीय अखबार और चैनल का मालिक। लगभग 350 विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र में हैं, एक का भी मालिकाना हक इनके पास नहीं है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में तो अभी ये शून्य ही हैं। शेयर बाजार, वित्त, निजी शिक्षण संस्थाएं इत्यादि किस चिड़िया का नाम है इनमें ज्यादातर को बोध ही नहीं है।

यदि हमारे यहां सामाजिक सुधार हुआ होता और शिक्षा में सत्य क्या है, पढ़ाया गया होता तो दबंग जातियां अपनी पहचान बनाए रखने के लिए ऐसे आंदोलन न करतीं। आरक्षण से ईर्ष्या न पैदा होती। इसके विपरीत दबे कुचलों को सहारा देते, जिससे देश में सबकी क्रय-शक्ति बढ़ती और हमारी अर्थव्यवस्था अब तक विकसित में शामिल हो गयी होती। निजीकरण, आउटसोर्सिंग, सरकारी खर्च में कटौती के कारण नौकरियां आधी रह गयी हैं, फिर भी सम्पन्न लोग इसमें शामिल होने की होड़ लगाए हुए हैं। दुनिया में कोई देश बिना सबका साथ लिए क्या सबका विकास कर सका है? देश हित में यह सबसे बड़ा कार्य होगा कि हम जाति एक सच्चाई है, पहले स्वीकार करें और तभी इसका तिरस्कार संभव है। इस सच्चाई को छुपाने का मतलब कि फोड़े के मवाद को न निकलने देना।

✦✦✦

संत रविदास जयंती में डॉ0 उदित राज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए

डॉ. अंबेडकर वेल्फेयर एसोशिएशन - अकबरपुर माजरा (पंजि.) के तत्वधन में परम पूजनीय संत शिरोमणि सतगुरु श्री गुरु रविदास जी महाराज की 639वीं पावन जयंती के शुभ अवसर की पूर्व संध्या पर श्री गुरु रविदास डीएचआरएम सभा (भजन संध्या) का आयोजन दिनांक 21 फरवरी 2016 दिन रविवार को सायं 5 बजे अंबेडकर चौपाल अकबरपुर माजरा में किया गया।

इस अवसर पर डॉ0 उदित राज, सांसद उत्तर-पश्चिम दिल्ली एवं राष्ट्रीय चेयरमैन, अनुसूचित जाति/जन जाति संगठ्नों का अखिल भारतीय परिसंघ, मुख्य अतिथि थे। जिन लोगों ने विभिन्न आयामों में जैसे - खेल, संस्कृति, शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग्यता हासिल की है, उन्हें मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में प्रसिद्ध संत, गायक, और विडियो फिल्म द्वारा गुरु रविदास महाराज जी के आदर्श जीवन-चरित्र एवं उनके त्याग की महिमा का गुणगान किया गया।

इस अवसर पर डॉ. उदित राज ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक हम समाज को जातियों में विभाजित करते रहेंगे, तब तक समाज का विकास संभव नहीं है। उन्होंने बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि डॉ. अंबेडकर ने किसी जाति के नहीं बल्कि प्रत्येक भारतीय मूलनिवासी के उत्थान के लिए कार्य करने पर ज़ोर दिया। ठीक उसी प्रकार डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने भी अपने समय में शिक्षा, संगठन, संघर्ष एवं महिला उत्थान का कार्य करते हुए हमें प्रेरणा देने का काम किया।

समारोह में डॉ0 अंबेडकर वेल्फेयर एसोशिएशन के महासचिव जगदीश प्रसाद धिरान ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि गुरु रविदास जी ने सदैव मध्ययुगी काल में मूर्ति पूजा व आडंबर का खंडन किया और अपनी रचनाओं के माध्यम से हजारों वर्षों से सताये जा रहे समाज को जताया। श्री गुरु रविदास जी सदैव आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे और कर्म में विश्वास रखते थे। उनके शब्द गुरुग्रंथ साहिब में भी सुसज्जित हैं।

वास्तव में गुरु रविदास जी द्वारा बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। आज वर्तमान में भी डॉ. उदित राज जी जाति विहीन समाज के निर्माण में जुटे हुए हैं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमारे सांसद डॉ. उदित राज जी एक विराट मिशन को लेकर चल रहे हैं और भविष्य में उनके मिशन के सराहनीय परिणाम की संभावना है। वास्तव में गुरु रविदास जी के पावन पर्व पर हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ें।

समारोह में एसोशिएशन द्वारा डॉ. उदित राज जी को ''अशोक स्मृति चिन्ह" से सम्मानित किया गया। संस्था द्वारा शिक्षा, खेल, कविता, लेखन एवं संस्कृतिक कार्यों में निपुण व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इनमें प्रमुख नाम इस प्रकार हैं -

1. कुमारी सुषमा (राष्ट्रीय धावक - स्वर्ण पदक विजेता) गाँव जान्टी कलाँ, सोनीपत- (हरियाणा)
2. रोहन कुमार - 18 वर्ष (राष्ट्रीय बोक्सिंग-स्वर्ण पदक विजेता)
3. राजीव धीर - सैदपुरी कवि एवं लेखक को "कलम समृति चिन्ह" से पुरस्कृत किया गया।
4. ज्योति धिरान, कु. मेधा, कु. रिया, कु. अंबिका जोशी एवं पेंटर सोनू को सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति पर "धीर म्यूज़िकल ग्रुप" के लिए पुरस्कृत किया गया।
5. पूर्व विधायक श्री नीलधमन खत्री, श्री लक्ष्मण आर्य - कार्यकारिणी सदस्य - दिल्ली प्रदेश और श्री आर के सौराण - 'अध्यक्ष डॉ. भीम राव अंबेडकर भवन समिति, प्रधान महासचिव - दिल्ली प्रदेश कबीर पंथी जुलाहा मंच - बरवाला' आदि गणमान्य व्यक्तियों को संस्था की ओर से ट्राफी भेंट की गई। समारोह में पूर्व प्रिन्सिपल, कवि एवं लेखक डॉ. जय किशन सब्बरवाल, श्री सुखराम पहलवान, श्री सर्वहित पाल चमार, श्री राम कुमार बौद्ध, श्री सूरत सिंह और एडवोकेट श्री जोगिंदर सिंह ने भी अपने विचार रखे।

- जगदीश प्रसाद धिरान
महासचिव
डॉ. अंबेडकर वेल्फेयर एसोशिएशन
अकबरपुर माजरा - दिल्ली- 110036
मो. 8527780797

19 मार्च को डॉ0 उदित राज पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे

डॉ0 उदित राज (सांसद), राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/जन जाति संगठ्नों का अखिल भारतीय परिसंघ 19 मार्च, 2015 को हल्दिया डॉक काम्प्लेस, पश्चिम बंगाल में डॉ0 अम्बेडकर की प्रतिमा पर निर्मित छत और पिलर का उद्घाटन करेंगे। परिसंघ की पश्चिम बंगाल इकाई के पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे 19 मार्च को वहां पर डॉ0 उदित राज जी से मुलाकात कर सकते हैं। प्रदेश में चल रहे विशेष सदस्यता अभियान के अंतर्गत बनाए गए सदस्यों का ब्योरा भी उन्हें वहीं पर सौंप दें। इसके अलावा विभागीय समस्याओं के बारे में भी चर्चा की जा सकती है। वहां पर डॉ0 उदित राज जी के विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी हेतु श्री इमैनुएल सिंह से सम्पर्क किया जा सकता है।

- इमैनुएल सिंह
अध्यक्ष,
ऑल इंडिया एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. इम्प्लाइज
कोर्डिनेशन काउंसिल ऑफ एच.डी.सी. यूनिट,
हल्दिया डॉक काम्प्लेक्स,
पश्चिम बंगाल,
मो. 09434940627,09434031208

दलित समाज लड़ने लगेगा तो दलित नेतृत्व मजबूत होगा : डॉ. उदित राज

आज दलित समाज को भक्ति के साथ साथ शक्ति की भी आवश्यकता है : रामविलास पासवान

नई दिल्ली (27.2.2016) : **'संत शिरोमणि रविदास जी'** की 639 वीं जयंती का भव्य समारोह **'दलित तीरथ स्थान उत्थान न्यास'** की ओर से कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित किया गया। इसमें केन्द्रीय उपभोक्ता एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान, राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ. सत्यनारायण जटिया, सांसद एवं परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदितराज, पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ. संजय पासवान, हरियाणा अनुसूचित जाति/जनजाति वित एवं विकास निगम की चेयरमैन श्रीमती सुनीता दुग्गल, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत कुमार गौतम, भारत सरकार में दलित वर्ग से संबंध रखने वाले एक मात्र सचिव श्री देवेन्द्र चौधरी सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद थे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में केन्द्रीय उपभोक्ता एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि – ''बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने आरक्षण के माध्यम से हमें सबकुछ दिया है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय की परिकल्पना को साकार करने के लिए उन्होंने भारतीय संविधान में इसका स्पष्ट प्रावधान किए। समता का मूलमंत्र उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध से लिया। वे दलित नहीं बल्कि क्षत्रिय राजा थे। वे मध्म मार्ग के प्रेरणा थे, जिनमें बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने अपना गुरु माना। जब भारत से बुद्ध धर्म समाप्त कर दिया गया तो उसे पुर्नस्थापित करने का काम भी बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने किया। दुनिया के जिन–जिन देशों में बुद्ध धर्म पहुंचा वे देश आज विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हैं, लेकिन भारत आज भी विकासशील राष्ट्र है। यहां जातीय आधार पर भेदभाव होता है। योग्यता का पैमाना जाति के आधार पर निर्धारित होता है। जातीय आधार पर उत्पीड़न, शोषण और अन्याय होता है।'

1977 में सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बनने का गौरव हासिल करने वाले और लोकसभा में सर्वाधिक वोटो से विजयश्री पाने वाले दलित नेता एवं प्रभावशाली केन्द्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान ने अपने संबोधन में पूर्व और वर्तमान की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि –'1990 में जब केन्द्र में श्री वी पी सिंह जी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी तो उस दौरान हमने बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर का तैल चित्र लगवाया। यही नहीं हमने उन्हें भारतरत्न देने का काम किया। यह हमारे लिए गौरव की बात है। नव बौद्धों को आरक्षण दिलाया। पैगम्बर मौहम्मद के जन्म दिवस पर अवकाश की शुरुआत की। पूर्व प्रधानमंत्री श्री वी पी सिंह जी ने अन्य पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए 'मंडल कमीशन' लागू कराया जो वर्षों से लंबित पड़ा था। इससे आरक्षण का डबल लॉक लगवाने का काम किया। इससे ओबीसी को मुख्यधारा में जुड़ने का मौका मिल सका। वर्तमान केन्द्र सरकार ने बाबा साहेब डॉ.अम्बेडकर

की 125वीं जयंती को ऐतिहासिक बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कार्य किए जिसमें दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक बनाने, मुम्बई में इंदुमिल की जमीन पर चैत्यभूमि को भव्यता प्रदान करने, लंदन में बाबा साहेब की याद में संस्थान बनाने, डाक टिकट और 10 व 125 रुपये का सिक्का जारी करना, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को पास कराने और उसे लागू कराने आदि कई कल्याणकारी योजनाएं शामिल है।'

मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए श्री रामविलास पासवान ने संतरविदास जी की वाणी का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सच है कि आज भक्ति का नहीं, शक्ति का युग है। इसलिए दलित समाज को भक्ति के साथ–साथ शक्ति के महत्व को समझते हुए इसको प्रभावशाली बनाना होगा। यदि हमारे पास पॉवर नहीं है, तो कोई पूछेगा नहीं। गुरु रविदास जी ने तत्कालीन समय में अपने ज्ञान और भक्ति के महत्व से विश्व में एक महान संदेश देकर ज्योति जलाई थी जिससे मौजूदा समाज प्रकाशमय है। हम मौजूदा केन्द्र सरकार में दलित समाज के हितों के लिए कई ठोस निर्णय ले रहे हैं। लोकसभा में भाजपा का पूर्ण बहुमत है, इसलिए अनुसूचित जाति व जन जाति के संरक्षण के लिए बनने वाले राज्यसभा में पास हुए विधेयक को लोक सभा में भी जल्द पारित कराने का प्रयास करेंगे। प्रमोशन में आरक्षण लागू किया जाए। हम यह भी चाहते हैं कि निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने पर भी सहमति बने। मीडिया में दलितों की भागेदारी सुनिश्चित की जाए। हम यह भी चाहते हैं कि दलित समाज का युवा वर्ग जो इज्जत और सम्मान के साथ जीना चाहता है। जहां तक रोहित वेमुला के मामले की बात है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यह सरकार का नहीं बल्कि जाति व्यवस्था का मामला है। हम लोगों ने सीबीआई की नहीं न्यायिक जांच की मांग की। सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया और न्यायिक जांच के लिए समिति का गठन भी कर दिया जिसकी रिपोर्ट 3 महीने में आने वाली है। हमें तब तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं। लेफ्ट वाले कभी वर्ग विशेष की बात करते थे, वे अब जाति विशेष के मुद्दे को लेकर तूल देने का काम कर रहे हैं। आज जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत है। इस पर सार्थक बहस होनी चाहिए। बाबा साहेब से ज्यादा प्रताड़ना दलित को नहीं झेलनी पड़ रही है। लेकिन उन्होंने इसका अपनी योग्यता और क्षमता का उपयोग करते हुए व्यवस्था से टकराते हुए दलितों को जो मान–सम्मान और अधिकार दिलाए वे ऐतिहासिक हैं। वे यातनाओं से घबराकर देश छोड़कर नहीं गए, उन्होंने राष्ट्र को ही सर्वोपरि माना।

इसी मंच से बोलते हुए अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वर्तमान में दिल्ली के एक मात्र दलित सांसद **डॉ. उदित राज** ने अपने संबोधन में कहा कि –' भारत के समस्त समाज की जातियों में अपने–अपने महापुरुषों की जयंतियां मनाने की परंपरा रही है। इसी श्रेणी में संत रविदास जी की जयंती मनाए जाने की बात है तो हम सभी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमें उनके व्यक्तित्व को सिर्फ किताबों, गोष्ठियों, सेमीनारों तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि अपने जीवन में धारण करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आरक्षण से ही हमें आज सबकुछ मिला है। इसके लिए हमने कोई संघर्ष नहीं किया। संघर्ष तो हमारे महापुरुषों ने किया। इसके लिए बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर का योगदान सर्वोपरि है। आज तेजी के साथ आउटसोर्श बढ़ रहा है, इसके चलते आरक्षण का अस्तित्व ही समाप्त होने को है। निजीक्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने के चलते दलित वर्ग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। आरक्षण को बनाए रखने और निजी क्षेत्र, मीडिया आदि में आरक्षण को लागू करवाने के लिए समस्त समाज को एकजुट होकर आंदोलन करने की जरूरत है। दलित जातियों के मध्य उपजातियों को समाप्त किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जाट, पटेल और गूर्जर समुदाय ने आरक्षण की मांग को लेकर जोरदार ढंग से आवाज बुलंद की, उन्होंने राजनैतिक संरक्षण की कोई परवाह नहीं की। लेकिन दलित समाज में लोग राजनेताओं से ही संघर्ष की अपेक्षा रखते हैं, यह उचित नहीं है। हमारा मानना है कि यदि दलित समाज लड़ने लगेगा तो दलित नेतृत्व मजबूत होगा।

इस मौके पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं राज्य सभा सांसद डॉ. सत्यनारायण जटिया ने संत रविदास जी के योगदान को याद करते हुए वर्तमान स्थिति का उल्लेख काव्य रूप में व्यक्त किया। लोगों के बीच समता, करुणा और भाईचारे का भेदभाव समाप्त हो रहा है यह चिंता का विषय है। हमें सामाजिक दुर्भावना छोड़कर देश व समाज हित में गुरु रविदास जी की शिक्षा अपनानी चाहिए। इसी से समाज की तरक्की संभव है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जन जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा प्रवक्ता डॉ. बिजय सोनकर शास्त्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया में गुरु रविदास जी के अनुयायी उनकी शिक्षा व संदेशों से अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं और इसी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गुरु रविदास जी के जन्म स्थान वाराणसी में पहुंच कर उन्हें नमन करना समाज के लिए एक अहम संदेश है।

भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत गौतम ने भी अपने उद्बोधन में गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को सभी वर्गों के लिए हितकारी बताया। रोहित वेमुला के मामले पर हो रही राजनीति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे देश में अव्यवस्था का माहौल पैदा हुआ है, जिससे विकास के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। दलितों को गुमराह किया जा रहा है। अम्बेडकर के अनुयायी आतंकवादी नहीं हो सकते।

अनुसूचित जाति वर्ग से भारत सरकार में एक मात्र सचिव देवेन्द्र चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि जातियों और उपजातियों के भेदभाव को समाप्त करना चाहिए। हमें अन्याय और शोषण के चलते अपना सिर नहीं झुकाना चाहिए। युवाओं को बाबा साहेब के योगदान और संघर्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए। अपने आपको सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने चाहिए। जिस सीढ़ी से चढ़कर यहां तक पहुंचे हैं, उसे नहीं भुलाना चाहिए। वहीं हरियाणा सरकार की अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की चेयरमैन श्रीमती सुनीता दुग्गल ने भी गुरु रविदास जी और बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर से जुड़े कई सामाजिक विषयों पर बोलते हुए कहा कि अब युवावर्ग को जागरुक होकर सामाजिक क्रांति की अलख जगानी होगी।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ. संजय पासवान ने कहा कि हमें हमारी मांगें पूरी हों, चाहे जो मजबूरी हो को छोड़कर तर्कसंगत अपनी बात सरकार के समक्ष रखकर समाज हित में नई योजनाओं को लागू कराना होगा। आज दलितों की बात दल और दल की बात दलितों में ले जानी पड़ेगी। सरकार से डायलॉग करना पड़ेगा। हमारा मानना है कि दुनिया का विवाद संवाद से ही समाप्त हुआ है न कि जंग से। मोदी जी की सरकार देने वाली है, लेकिन आज जानबूझ कर बिखराव की स्थिति पैदा की जा रही है।

समारोह के मुख्य आयोजक एवं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरज भान कटारिया ने कहा कि हम सब दलित समाज के लोगों को एक दूसरे की जातिगत आलोचना छोड कर सभी दलित गुरु महात्माओं जैसे महात्मा बुद्ध, संत रविदास, कबीर, महर्षि वाल्मीकि, गाडगे तथा अपने महापुरुषों की जयंती और दूसरे अवसर हर्षोल्लास के साथ मिलजुल कर बनाने चाहिए। कटारिया ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दलित समाज के हकों के लिए समाज के केन्द्रीय मंत्रियों, सांसदों एवं उच्च पदों पर विराजमान लोगों को एकजुट होकर तालमेल के साथ कार्य करना चाहिए। समारोह में पूर्व विधायक चौ. चांदराम, पूर्व आयकर अधिकारी एवं राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता जगत सिंह टांक, हरियाणा सरकार के अधिकारी अजीत तंवर, सुरेश गौतम, के पी मौर्य, दलित चिंतक एवं लेखक बसंत कुमार, प्रो. राजेश पासवान (जेएनयू), जय कुमार पुरी, रोहित सोनकर, अरुण भालेराव (पूना), सुखबीर बौद्ध, किशनपाल केन, गौरी अब्बूपुरिया, बद्री प्रसाद भागवत, कन्हैया लाल बैरवा, प्रदीप चौहान, कामिल मोहम्मद, सरदार गुरुदीप सिंह, जय भगवान कटारिया, मनवीर पारचा, आर एस पूनिया, रूप सिंह राना, मास्टर शमशेर सिंह, प्रणय कौशिक, राकेश पासवान तथा राजेश कुमार कलानौर, डॉ. विक्रम पासवान, श्रवण कुमार पासवान, जयभगवान राठी, भारतीय नरेन्द्र मोदी संघ के मनोज कुमार मन्नू तथा किसान मोर्चा के मुकेश नरवाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

रिपोर्ट : के पी मौर्य

निजी क्षेत्र में आरक्षण

सामाजिक न्याय के मामले में निजी क्षेत्र को अपनी जिम्मेदारी समझने की सलाह दे रहे हैं प्रदीप सिंह

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि वह निजी क्षेत्र की कंपनियों में पिछड़े वर्ग के लिए सत्ताइस फीसदी आरक्षण के लिए विधेयक लाए। भारत में आरक्षण ऐसा शब्द है जिससे उसको चाहने वाले और न चाहने वाले, दोनों परेशान होते हैं। चाहने वाले इसलिए कि उसका दायरा और बढ़ क्यों नहीं रहा और आरक्षण विरोधियों को लगता है कि संविधान में जिसकी व्यवस्था दस साल के लिए की गई थी वह साढ़े छह दशक बाद भी क्यों बना हुआ है? दोनों तरफ के लोग ठहर कर सोचने को भी तैयार नहीं कि इसके हल की क्या कोई और सूरत हो सकती है? इस बात पर विचार करने से भी लोग खौफजदा हैं कि पिछले सत्तर सालों में हालात उतने क्यों नहीं बदले जितने बदलने चाहिए थे। दरअसल समस्या आरक्षण नहीं है। समस्या शिक्षा और रोजगार के अवसरों की कमी है। आरक्षण पहले नौकरी में आया, फिर शिक्षा संस्थाओं में और उसके बाद प्रोन्नति में। अब मांग उठ रही है कि सरकारी क्षेत्र से इसका दायरा बढ़ाकर निजी क्षेत्र तक ले जाया जाए। पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश से निजी क्षेत्र में आरक्षण का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है और इस बार वह पहले जैसा कमजोर नहीं नजर आता।

2011 की जनगणना के मुताबिक दस सालों में सरकारी क्षेत्र में रोजगार के सोलह लाख अवसर कम हुए। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा हासिल करने की चाह रखने वाले लोगों की संख्या जितनी बड़ी है उसके लिए जगहें बहुत कम। जब कम योग्यता वाला वह जगह ले जाता है तो ज्यादा योग्यता वाले को लगता है कि उसका हक मारा जा रहा। यह सामाजिक अलगाव से अलग मसला है। आरक्षण विरोधियों के पास सबसे बड़ा मुद्दा योग्यता (मेरिट) का है। मेरिट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि समाज के इतने बड़े वर्ग को कम योग्यता के नाम पर छोड़ा भी तो नहीं जा सकता। इस वर्ग के पिछड़ जाने के लिए हजारों साल का उत्पीड़न जिम्मेदार है। उसकी भरपाई तो किसी न किसी रूप में होनी चाहिए। इसलिए निजी क्षेत्र को भी उनके बारे में सोचने का समय आ गया लगता है। एक और बात नहीं भूलना चाहिए कि मेरिट की बात करने वाले चिकित्सा, इंजीनीयरिंग और दूसरे व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में करोड़ों रुपये की कैपिटेशन फीस देकर एडमिशन पाने वालों के बारे में चुप्पी साध लेते हैं। इससे संदेश यह जाता है कि मेरिट का तर्क समाज के कमजोर लोगों को रोकने के लिए दिया जाता है।

निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा 2005 में संप्रग सरकार में समाज कल्याण मंत्री मीरा कुमार ने उठाया था। दरअसल सरकार ने 2004 में देश के 218 औद्योगिक घरानों और व्यापारिक संगठनों को पत्र लिखकर दलितों/ आदिवासियों के लिए आरक्षण की कानूनी व्यवस्था करने का इरादा जाहिर किया था। तत्कालीन सरकार ने जब निजी क्षेत्र में दलितों/आदिवासियों के आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था की बात की तो निजी क्षेत्र की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई। बातचीत के बाद सरकार और निजी क्षेत्र में इस पर सहमति बनी कि निजी क्षेत्र सकारात्मक उपायों के जरिये सामाजिक न्याय की योजनाओं को लागू करेगा और दलितों एवं आदिवासियों के कौशल विकास में योगदान करेगा। इस पर सरकार ने आश्वासन दिया कि वह इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाएगी। मीरा कुमार ने उस समय एक बात पर खुशी जाहिर की थी कि निजी क्षेत्र ने पहली बार स्वीकार किया कि मेरिट कोई स्वाभाविक परिघटना नहीं है, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों की देन है। उनके लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस घटना को 11 साल से अधिक हो गए, लेकिन निजी क्षेत्र ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़ों को सत्ताइस फीसदी आरक्षण देने की सिफारिश की है। निजी क्षेत्र जिस समस्या से आंखें मूंदकर यह सोच रहा था कि वह खत्म हो गई, वह अब और बड़े रूप में उसके सामने है। 2005 में उद्योग परिसंघ सीआईआई के अध्यक्ष वाईसी देवेश्वर ने कहा था कि उद्देश्य आरक्षण नहीं बल्कि रोजगार के नए अवसर तलाशने का है। असली समस्या यही है। रोजगार देश की सबसे बड़ी समस्या है। नरेंद्र मोदी सरकार के लिए यह मुद्दा सबसे अहम है, क्योंकि मोदी लहर में सबसे अधिक योगदान युवा मतदाताओं का है। युवा मतदाताओं की सरकार से एक ही अपेक्षा है कि वह उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, लेकिन सरकार हो या निजी क्षेत्र, दोनों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की एक सीमा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री का सारा जोर स्वरोजगार पर है। स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना का यही मकसद है। आरक्षण का मामला केवल रोजगार का नहीं है। वह सामाजिक समानता के अधिकार का भी मुद्दा है। उसका हल आरक्षण नहीं है। उसके लिए सोच में बदलाव जरूरी है, लेकिन इस सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया पर राजनीति का ग्रहण लगा है। राजनीति मांग करती है कि यह सामाजिक भेद बना रहे। इसलिए राजनीतिक प्रतिष्ठान ने पिछले सत्तर सालों में इस पक्ष की उपेक्षा करने में ही अपना भला समझा। राजनीति को आरक्षण में वोट का अवसर नजर आता है और बात जब वोट की हो तो सारे तर्क बेमानी हो जाते हैं। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर एक असहज और बेचैनी भरी आम राय है। इस मुद्दे पर कोई भी राजनीतिक दल विरोध में खड़ा होने का साहस नहीं कर सकता। बिहार विधानसभा चुनाव के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा के एक बयान ने भाजपा की हार की जमीन तैयार कर दी, क्योंकि समीक्षा की बात करने वाले को आरक्षण विरोधी के रूप में पेश करना बहुत आसान है।

कौशल विकास एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिये निजी क्षेत्र समाज के कमजोर तबकों के लिए अपने दरवाजे खोल सकता है। यह एक सामाजिक जिम्मेदारी है जिससे अधिक समय तक बचना संभव नहीं है। पिछले सत्तर सालों में निजी क्षेत्र ने इस तरफ ध्यान दिया होता तो शायद आज स्थिति बहुत बेहतर होती। स्पष्ट है कि निजी क्षेत्र अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से अब तक भागता रहा है। जब भी कानून के जरिये इसे लागू कराने का दबाव बढ़ता है तो वह स्वेच्छा से इस दिशा में काम करने की बात करता है। दबाव कम होते ही वह अपना वादा भूल जाता है। यह लुकाछिपी का खेल बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला। निजी क्षेत्र या तो अपनी पहल पर इस दिशा में गंभीर कदम उठाए या उसे कानून के जरिये लागू किए जाने की बाध्यता के लिए तैयार रहे, क्योंकि कोई भी सरकार इस मुद्दे पर जन दबाव को अधिक समय नहीं टाल सकती। जिस तरह से वोट बैंक के लालच में नई नई जातियां आरक्षण के दायरे में शामिल की जा रही हैं उससे भी निजी क्षेत्र में आरक्षण का दबाव बढ़ने ही वाला है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

– दैनिक जागरण

(11/2/2016) से साभार

http://epaper.jagran.com/epaper/11-feb-2016-4-Delhi-City-Page-1.html#

GOOD DEVA-BAD ASURA DIVIDE MISLEADING

The eternal battle between the two forces, both descended from Kashyapa, has many layers of meaning. It cannot be seen in simple moral or ethical binaries, writes Devdutt Pattanaik.

If you read the Vedas, which are nearly 4000 years old, the word 'Asura' does not mean demon, or villain, but quite the opposite, a divine being. It's a title given to Indra, Agni, Rudra, Varuna, and to most Vedic deities. Vritra, the enemy of Indra, is however not called an Asura.

However, things change in the Puranas, composed around 2000 years ago. Here, Asuras are villains and enemies of the Devas, or gods. Both Devas and Asuras are children of Kashyapa, born of different wives. Devas are called adityas, because their mother is Aditi. Asuras are daityas and danavas because they are children of Diti and Danu. The Devas and Asuras are constantly fighting each other. Indra, leader of the Devas, constantly begs his father, Brahma, to save him from the Asuras just as Asuras seek boons that enable them to drive Devas out of Swarga. Devas are blessed with amrita or the nectar of immortality. Asuras have sanjivani vidya, the herb to bring the dead back to life. The two function as force and counterforce, yet one sees a desire to make them complementary, not antagonistic. Thus Lakshmi is Pulomi, daughter of the Asura-king Puloman, but also Sachi, wife of Indra, in other words, Asura-putri (daughter of Asuras) and deva-patni (wife of Devas). We wonder what that means? Could it be that Asuras, who live under the earth, in Patala, are the source, hence father of wealth, and Devas, who live in the sky above the earth, in Swarga, the place where wealth comes to have value?

If one reads the Gita, which is part of the Mahabharata, and also is roughly 2000 years old, Krishna uses Devas as an adjective for positive qualities such as generosity, compassion, magnanimity, equanimity, faith and patience, while Asuras embody all people who are greedy, self-absorbed, avaricious, territorial, combative and egotistical. Here, the divide is clear: Devas are good and Asuras are bad. Goodness, in the Gita, is the result of believing in something beyond the material and tangible.

In Puranic stories, the divide remains stubbornly ambiguous. Tales of the good Asura and bad deva often puzzle us: Asurakings such as Bali is generous, Virochana is wise, Prahalad has faith, while Indra, king of Devas, chases Ahalya and is cursed for it. Indra is often shown behaving like an entitled feudal lord, surrounded by damsels and musicians, enjoying a life of luxury. Asuras are shown as being Devas in their previous lives: Hiranayaksha, who is killed by Vishnu when he takes the form of Varaha, and Hiranakashipu, who is killed by Vishnu when he takes the form of Narasimha, are both seen as doorkeepers of Vaikuntha, Jaya and Vijaya, who are cursed and so forced to be born as Asuras.

Around 1500 years ago, the Devi Mahatmaya came into being as part of the Markandeya Purana. Here we are told that an Asura secured from Brahma a boon that he could be killed neither by a god nor man or animal. He forgot to ask for protection from a woman, and so the devas were asked to give up a portion of their power and fuse it together to create a woman, Durga, who rides into battle on a lion and kills this Asura with her trident. The Asura is called Mahishasura, because he takes the form of many animals, the foremost of which is the buffalo. Mahishasura is clearly the bad guy here. Or so we think. For when we read the Arunachala Sthala Purana from Tamil Nadu, or bits of stories from the Skanda Purana, we learn that Durga finds inside the severed neck of Mahishasura a shivalinga. She realises that he is a devotee of Shiva and so performs penance to cleanse herself of the crime of killing a bhakta. And so in a local temple there is the image of the goddess seated on fire holding a shivalinga in her hand, the same that she found in Mahisha's throat.

When we study Indian scriptures, we discover that the divide of good deva and bad Asura is rather simplistic. The battle between Indra and the many Asura-kings has layers of meaning. It cannot be seen in simple moral or ethical binaries. Yet, this is what people try to do. We want Durga to be the force of good who kills 'evil' and this leads to subversive counterarguments that make Durga an instrument of colonial and oppressive forces. It's time to break these binaries and recognise that deva and Asura are both children of Kashyapa, constantly fighting each other, trying to overpower and outwit each other. Without the Asuras, the Devas cannot churn the ocean of milk. And by denying Asuras the treasures churned out, the Devas can never find peace.

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Good-deva-bad-asura-divide-misleading/articleshow/51162479.cms

True Ambedkarism in JNU

Pro Azad Kashmir and pro Pakistan slogans by fringe elements of JNU have triggered a new debate. Already some students of Hyderabad University had sown the seeds for such fringe ideas; Rohith Vemula was one of those who glorified Yakub Menon and Parliament attacker Afzal Guru. In both the incidents, few so called Ambedkarite students took part in such acts, while owing allegiance to Dr. B R Ambedkar's thoughts. They have more misunderstood Ambedkar than understood him. This tiny number does not matter to India which is a gigantic nation; however, it leaves some scars on Ambedkarites and hence there is a need to expose it. Dr. B R Ambedkar was vehemently opposed to any kind of fundamentalism, be it Islam, Hinduism or Christianity. If his philosophies were rightly understood, then he was only and only for humanism. He championed the cause of untouchables out of conviction for humanity. If it is not so, he would have not stood for annihilation of caste. Unfortunately, some people brand him as a Dalit leader; actually what he said was for nationalism. A person cannot have double allegiance at the same time, one towards caste and other towards the nation; like a boy cannot love two girls equally at the same time. Dr. Ambedkar wanted annihilation of caste so that all Indians have one allegiance, that is, towards the nation.

A few radical Dalit students, under the influence of some ideology think that they are espousing their cause portraying it as Ambedkarism. They must be told that they are confused and Dr. Ambedkar's views need to be reproduced to clarify, "Islam is a close corporation and the distinction that it makes between Muslims and non-Muslims is a very real, very positive and very alienating distinction. The brotherhood of Islam is not the universal brotherhood of man. It is the brotherhood of Muslims for Muslims only. There is fraternity but its benefit is confined to those within that corporation. For those who are outside the corporation, there is nothing but contempt and enmity," (Chapter 4, Dr. Ambedkar on the partition of India). Nobody minds if Muslims and Dalits come together for social and economic empowerment. A few Muslims believe that there should be unity with Dalits but majority of them remain in their cocoon. If upper castes discriminate against Dalits, then in what way do Muslims help them? Aligarh Muslim University and the Jamia Millia University are the only institutions which deny reservation. They argue that since they do not have many minority institutions, so giving reservation will further narrow their chances. The fact is that in both the universities, while up to half the seats are reserved for minorities, they can easily provide reservation for Dalits in the other half of the seats without harming their own share. They have fairly good control in films and industries, yet their treatment of Dalits is no better than others. Dalits fight for Muslims, but it is never vice versa.

Dr. Ambedkar was vehemently opposed to Article 370 of the Constitution which grants special status to Jammu and Kashmir. Shouting slogans of "Pakistan zindabad" and demanding self determination of Kashmir is anti-Ambedkarism. They should know what he said on the Kashmir issue, "You wish India should protect your borders, she should build roads in your area, she should supply you food grains, and Kashmir should get equal status as India. But Government of India should have only limited powers and Indian people should have no rights in Kashmir. To give consent to this proposal would be a treacherous thing against the interests of India and I, as the Law Minister of India, will never do it" (Dr. Ambedkar to Sheikh Abdullah). If Ambedkar had been alive today, he would have asked for action against such fringe elements of JNU. Caste has been the stumbling block in actualizing the fullest form of nationalism, and he wanted to annihilate it for completeness of nationalism. During that journey, cause of any discriminated stock, be it Dalit, women or minorities is automatically addressed.

No doubt discrimination is the order of the day in schools, colleges and universities. Students of primary classes who are of such a tender age learn discrimination – there are thousands of schools in the country where Dalit children are not allowed to have midday meals with upper caste children. Cooks from lower castes are boycotted. Very often, reservation norms for admission and faculty are violated. Not only hostels are separate, but in the same hostel, wings are separate for Dalit and non Dalit students. In internal assessments, Dalit students are often discriminated against. At the level of research, least said is the best. Radicalization of a few Dalit students is born and festered by discrimination, but that doesn't mean that they become anti-nationals. Dr. B R Ambedkar was also discriminated against, but he remained a hard core nationalist and it is no exaggeration if he can be marked the most nationalist. Very often upper caste Hindus also salute him for his staunch nationalism. All other stalwart freedom fighters did not oppose Article 370, but he did. Prime Minister Shri Narendra Modi has often said that despite the fact that Dr. Ambedkar faced highest level of humiliation and discrimination, yet he did not harbor a grudge. All Ambedkarites should take a call that these fringe elements are not allowed to interpolate into the thoughts of Dr. Ambedkar and blame the community. Why are these elements wasting their energy on this, instead of using it for saving reservation and fighting injustice?

Dr. Udit Raj

✦✦✦

Gautam Budh Samrat Ashok and Dharam

The East Indian state of Odisha formerly known as Orissa plays host to a high concentration of Buddhist sites. Excavations which began relatively recently have unearthed more than 200 Buddhist sites scattered across the state. Odisha's "Diamond Triangle" containing the Buddhist sites of Ratnagiri, Udayagiri and Lalitgiri show the prominence of Buddhism in Odisha from the 6th century BC to at least the 15th-16th century AD. It is believed that Buddhist teachings from Hinayana, Mahayana and Tantrayana sects and its offshoots such as Vajrayana, Kalachakra Yana and Sahajayana were conducted in Odisha making it a state rich in Buddhist heritage.

Prakash S Patil shared https://www.facebook.com/prakash.s.patil.90/posts/673163316119358

✦✦✦

SEND DETAILS OF MEMBERSHIP OF CONFEDERATION

Despite repeated requests we did not get back the receipts of All India Confederation of SC/ST Organizations which were issued to Office-bearers of State/District & Block Units and well-wishers. Please send the following information immediately via e-mail to parisangh1997@gmail.com

Name of member	M. No.		Distt.
State			

- Dr. Udit Raj,
National Chairman

SEND MOBILE No. OF SUPPORTERS AND WELL-WISHERS

All India Confederation of SC/ST Organizations are requested to send their name, mobile number and district in two categories – Category 'A' is of Confederation leaders and important activists and 'B' of those who are social and supporters of Confederation. Please send e-mail to parisangh1997@gmail.com

Name	Mobile no.		District
State			

- Dr. Udit Raj,
National Chairman

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 19 ● Issue 7 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 16 to 29 February, 2016

Who Fought for Reservation in Haryana

Till now there has been plenty of misunderstanding and problems about reservation. These should have been cleared up after the recent Jat agitation in Haryana. In Dalit society, discussion is always about MPs and MLAs who are elected, and do not raise issues of Dalit society. In the Haryana Jat agitation, was the leadership provided by MPs and MLAs? MPs, MLAs and Ministers were seen publicly remarking that they had no role at all in the agitation. Till now we were making the same mistake, now the time has come to correct it. The reality is that every man, woman and child in Jat, Gujjar and Patel constituencies did not have any fear of going to jail or of harm to their lives; they came out on the streets to fight for their reservation. In our society, the entire discussion is about what Dr. Udit Raj, Shri Ramvilas Paswan and Shri Ramdas Athawale have done for society? These scared and selfish people do not need approval from anyone – they should learn to come together and fight for their rights.

When people are strong, their leaders also act accordingly – that is why Governments listen to Jat and Patel leaders and if they fight for their community, the Government has to accede to their demands. Their society is ready to block roads and even burn. Leaders of other communities also cannot walk freely. Member of Parliament from Karnal Shri Rajkumar Saini had opposed reservation for Jats; the result was damage to his residences of his supporters – police also had to take action. On the opposite side, if a Dalit leader tries to raise these issues, he gets no support at all. The beauty of democracy is that a leader is a representative of the people and hence, leaders will act accordingly. I am not saying that like other powerful castes, we should also burn shops and police stations for our rights, molest women, block roads and create problems for people; however, lacs of people can come together, but that has yet to happen till date.

Dr. Udit Raj joined the BJP to go to Parliament and raise Dalit issues, and that is what he has done. The number of times he has spoken about Dalit issues and reservation, has any other MP even come close? How much support has he received? People want that they should receive everything, and yet they do not want to make sacrifices. The thought is that what can one person do, rather others should fight for us. In the entire world, the poor and depressed classes have brought about a revolution; yet in India the rich are fighting. Those who have money and power are fighting with no thought for their lives and families, they are going to jail; yet there is no support from the poor. A comparison between Patels and Jats is also being published; we should draw inspiration from that. The rich have no many sources of entertainment and comfort, yet they are ready to sacrifice. The Dalits and backwards do not even have these sources. In this fight, the struggle and sacrifice of the rich should be almost zero.

--- Dr. Udit Raj

National Chairman, All India Confederation of SC/ST Organizations

	PATELS IN GUJARAT	JATS IN HARYANA
Population	**Total population 6.20 cr, population of Patels 1.20 cr**	**Total population 2.53 cr, population of Jats 63 lac**
MP/MLA	Patels have always been at the forefront of politics in Gujarat. Out of 182 MLAs in Gujarat, out of which 43 are Patels; 35 from BJP and 8 are from Congress. Including CM Anandiben, there are 7 Patel Ministers – 2 in Cabinet and 5 MOS. One Patel is also a Union Minister.	Out of 15 MPs, 4 are Jats. Deepender Hooda (Rohtak), Dushyant Chautala (Hisar), Dharambir Singh (Bhiwani Mahendragarh) and Union Minister Birendra Singh. Out of 90 MLAs, 22 are Jats; 6 from BJP. Agriculture Minister Dhankar, Finance Minister Captain Abhimanyu and BJP State President Subhash Barala are also Jats
Health and Education	8% of all doctors in Gujarat are Patels. In higher education, 5000 professors are Patels (8.33%). In primary education, out of 25 lac teachers, 15,000 are Patels (12%)	7. 44% of Senior Medical Officers are Jats while Aggarwals are 14.15 and Brahmins 7.19%. In the education sector as well, Jats are in abundance – in colleges, 28% of teachers are Jats
Government and Administration	Out of 9 IAS officers appointed in Gujarat cadre in 2015, 3 are Patels. Out of IAS officers appointed in 2014, 9 are Patels. In Gujarat Government, 8% are Patels, while there are 74 Patel officers of Secretary and Special Secretary rank	In Haryana, 18.1% IAS officers are Jats. In Haryana state officers, 18.24% are Jats. Out of 35 District Collectors, 18.14% are Jats.
Private sector and jobs	In dairy sector, Patels are 80%; 70% in cotton and 70-75% in groundnut production	55.33% of total agricultural land in Haryana is with Jats; main crops are rice and wheat
Agriculture	Less than 2-3% Patels works in the private sector. As a result of division of agricultural land, receipt of funds from NRI Patels and education and awareness of Patel youth, Patels are involved in independent businesses for over the last 10 years	23.33 % wholesalers are Jats. Apart from this, 68.77% property dealers, 44% in transport sector and 35% in private sector jobs are Jats. Majority of those involved in automobile dealerships and agencies, as well as hospitality are Jats
Chief Minister	**Gujarat became a state in 1960. Out of 15 Chief Ministers, 5 were Patels. Current CM Anandiben is also a Patel**	**Out of 10 Chief Ministers in Haryana, only 5 were non Jats. Out of this, only Bhajanlal could complete his term as Chief Minister**

Dr. Udit Raj fights for SC/ST Judges

Dr. Udit Raj, Member of Parliament (Lok Sabha) and National Chairman, All India Confederation of SC/ST Organizations had written to Shri Narendra Modi, Prime Minister of India, Shri T S Thakur, Chief Justice of India as well as other members of the collegium which appoints judges of the Supreme Court regarding the severe lack of SC/ST judges in both the Supreme Court of India as well as various High Courts on 14th January 2016. Dr. Udit Raj has received a reply from Shri D V Sadananda Gowda, Minister of Law and Justice, Government of India on 16th February 2016 which says that judges of the Suprme Court and High Courtrs are appointed under articles 124 and 217 of the Constitution respectively, which does not provide for any reservation for any caste or class of persons. The Government has, however, requested the Chief Justices of High Courts that while sending proposals for appointment for appointment of judges, suitable candidates belonging to social categories of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Minorities and Women be taken into consideration.

The time has come to rise to the battle and come out on the streets to ensure that in every High Court of a state, there is at least 1 judge from the Scheduled Caste, 1 judge from the Scheduled Tribes and at least 1 women judge. We must also ensure that at least 50% of all Chief Justices of High Courts and 50% of judges of the Supreme Court are from SCs and STs. We must fight to ensure that statements such as those of Justice J B Pardiwala of the Gujarat High Court equating reservation and corruption are not fought only by Dr. Udit Raj in Parliament, but also by SC/ST judges in the Supreme Court and High Courts.

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by C. L. Maurya